

प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी) के भुगतान किये जाने
संबंधी प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है की केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफ० एन०-5 -3 / 2007 (एफ० सी ०,डिवीज़न) दिनांक 05-02-2009 द्वारा 30 वर्षों के लिए वन भूमि के हस्तांतरण / गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट वैल्यू (एन०पी०वी) और बढ़ी दरो के अनुसार धनराशि **टोरेंट गैस मुरादाबाद लिमिटेड** द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMP) वन विभाग उत्तर प्रदेश को ई-चालान द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।



सतीश चंद्र वर्मा
सहायक महाप्रबंधक
टोरेंट गैस मुरादाबाद लिमिटेड